मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय
// आदेश //

दिनांक 25/07/2022

क्रमांक 1564/495/2021/अ-73 राज्य शासन एतद द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक 449/495/2021/अ-73, दिनांक 23.02.2022 से जारी "एम.पी. स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022" के नियम 8.1 में विभाग को प्रदत्त अधिकार के परिप्रेक्ष्य में "एम.पी. स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022" के नियम 5.3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"इंक्यूबेटर से अभिप्रेत है स्टार्टअप इकाईयों को प्रारंभिक अवस्था के दौरान समर्थन करने के लिये परिकल्पित किया गया एक संगठन जो व्यावसायिक सहयोग, संसाधनों और सेवाओं के द्वारा एक स्केलेबल व्यापारिक मॉडल विकसित करने में सहायता करता है। एवं

1. इंक्यूबेटर एक कानूनी इकाई हो।

(क) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी

अथवा

(ख) भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत एक न्यास

अथवा

(ग) कंपनी अधिनियम 1956 अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

अथवा

(घ) किसी विधायी अधिनियम के माध्यम से निर्मित एक सांविधिक निकाय।

2. इंक्यूबेटर में कम से कम 20 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था हों।

3. इंक्यूबेटर के पास व्यवसाय विकास और उद्यमशीलता में अनुभवी एक पूर्णकालीक प्रमुख हों, जिसकी सहायता एक सक्षम टीम द्वारा की जायेगी जो परीक्षण और विचारों के वैधीकरण में स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन करने के साथ-साथ वित्त, विधिक और मानव संसाधन संबंधी कार्यों के लिये जिम्मेदार होगा।

4. इंक्यूबेशन सेंटर में केवल स्टार्टअप्स इंक्यूबेट अथवा कार्यरत हो सकेंगे।
5. मध्यप्रदेश में स्थापित/कार्यरत होना अनिवार्य होगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी. नरहरि)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ. क्रमांक 1565/495/2021/अ-73 भोपाल दिनांक 25/07/2022

प्रतिलिपि:-

1. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. आयुक्त जनसम्पर्क मध्यप्रदेश,भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. नियंत्रक शासन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री मध्यप्रदेश भोपाल को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग